Failure of Youth Policy

888. DR. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the present policy regarding youth affairs has failed to capture the imagination of the youth of the country;

(b) if so, the steps taken for planned to address this issue; and

(c) if not, whether the need for taking such steps is felt?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS) OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI R. DHANUSHKODI ATHITHAN): (a) to (c) Sir, a need has been felt to reformulate the existing National Youth Policy with a view to making it more need-based and action for the same has already been initiated.

दिल्ली में मदर डेयरी दूध और शाक-सब्जी बूथों का खोला जाना

889. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी** : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेरी दूध और शाक-सब्जी बूथ तथा दिल्ली दुग्ध योजना बूथ खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं;

(ख) क्या क्षेत्र विशेष की महत्ता और जनसंख्या की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पालम कालोनी क्षेत्र में इसकी जनसंख्या तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए वहां पर उक्त बूथों को खोलने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इन बूथों के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) दिल्ली दुग्ध योजना बूथ खोलने के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली दुग्ध योजना बूथों को खोलने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया रहा है:-

(1) प्रचुर मात्रा में दुध की उपलब्धता;

(2) उस स्थान तक जहां पर डिपो खोला जाना है, पक्की सड़क की उपलब्धता तथा संबंधित क्षेत्र में दूध की भरपूर मांग होनी चाहिए।

(3) निर्धारित स्थल की योजना का अनुमोदन, दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका/एल॰ तथा डी॰ ओ॰ कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा इसके बाद डिपो खोलने से पूर्व पुलिस उपायुक्त (यातायात) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है।

फल और सब्जी तथा मदर डेयरी बूथों के लिए स्थानों का चयन, संभावित बिक्री, उपयुक्त स्थान की उपलब्धता तथा ऐसी दुकानों के विनिर्माण/चालू करने के लिए अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। दुकानों के निर्माण का कार्य, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि जैसे संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित स्थल के अनुमोदन के बाद किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) पालम कालोनी क्षेत्र में दूध की आवश्यकता को देखते हुए, दिल्ली दुग्ध योजना ने पहले ही अपने दुग्ध बूथ सं॰ 1751-1752, 1757-1758, 1911-1912, 2069 तथा 2075-2076 खोले हुए हैं जहां से उपभोक्ता दिल्ली दुग्ध योजना का दूध प्राप्त करते हैं। मदर डेयरी पालम कालोनी क्षेत्र में दूध की बिक्री के लिए पहले से ही अपनी बूथ चला रही है जो निम्नलिखित हैं:-

दुग्ध बूथ सं॰	पता
141	शिव मंदिर के निकट, साधनगर, पालम कालोनी।
135	दिल्ली विकास प्राधिकरण, जे॰जे॰ कालोनी, मंगलापुरी।
681	मेन रोड, दुकान नं॰ आर॰जेड॰- 117ए, सागर पुर, पालम कालोनी।

इंसुलेटेड डिब्बा सं॰	पता
1107	राजनगर, पालम कालोनी।
1123	इंदिरा पार्क, पालम कालोनी।
1127	डब्ल्यू॰जेड॰ 657सी, पालम कालोनी।
1130	राजनगर पार्ट-2, पालम कालोनी।
1131	हरफूल सिंह मार्किट, महावीर इंक्लेव।

फल तथा सब्जी की एक दुकान महावीर इंक्लेव के समीप नसीरपुर में पहले ही निर्माणाधीन है।

मंगलापुरी में फल तथा सब्जी की दुकान के लिए एक अन्य स्थान के आबंटन के अनुरोध को संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था।

(घ) दुग्ध बूथों के संबंध में (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। मदर डेयरी तथा फल एवं सब्जी बूथा का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ङ) (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Autonomy to Maharashtra Colleges

890. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the UGC has granted autonomy to selected colleges and university departments in the State of Maharashtra;

(b) if so, the college-wise and university department-wise details thereof; and

(c) the improvements in the standard of education likely to be achieved by granted such autonomy in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) University Grants Commission has granted its concurrence to the conferment of autonomous status on the following colleges/University Departments in Maharashtra:

(i) S.V.T. College of Home Science, Juhu, Bombay affiliated to S.N.D.T. Women's University.

(ii) Chhatrapati Shahu Central Institute of Business Education and Research, Kolhapur affiliated to Shivaji University.

(iii) Department of Chemical Technology, Bombay University.

Proposals of Government College of Arts & Science, Aurangabad, and Home Science Department of S.N.D.T. Women's University for conferment of autonomous status are under active consideration of the UGC.

(c) An autonomous college has the freedom to:

determine and prescribe its own courses of study and syllabi;

prescribe rule of admission, subject, of course, to the reservation policy of the State Government; and

evolve methods of evaluation and to conduct examinations.

चूककर्ता केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों का स्थानांतरण

891. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 2 अगस्त, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2031 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय, न्यू महरोली रोड़ नई दिल्ली में प्रवेश संबंधी अनियमितताओं में कथित रूप से अंतर्ग्रस्थ पाये जाने के कारण चार कर्मचारियों में से दो कर्मचारियों का स्थानांतरण बाद में रद्द कर दिया गया और एक कर्मचारी का स्थानांतरण स्थगित कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो चौथे कर्मचारी के स्थानांतरण रद्द करने का आवेदन पत्र स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके पश्चात् इसके लिए जिम्मेदार प्रधानाचार्य के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ग) जी, नहीं। शिकायत की प्रारंभिक जांच के आधार पर सम्बंधित चार कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है और किसी भी स्थानान्तरण को रद्द या आस्थगित नहीं किया गया है।

Grant of RCF loan to NFL

892. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that political pressure was exerted on the Board of Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited to grant a loan of Rs. 40 crores to bail out national Fertilizers Ltd., to overcome liquidity crisis.

(b) if so, the details thereof alongwith justification for lending Rs. 40 crores when RCF was facing resource crunch for its new projects;

(c) the details of the financial deal and persons involved in such a risky deal; and